संख्या-18/2017/क0नि0-4-1471/11-2017-300(27)/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनु0-4 **लखनऊ: दिनाँक 28 नवम्बर, 2017**

विषयः- यू0एच0एफ0 आर0एफ0आई0डी0 व्यवस्था प्रभावी किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0डेस्को को अवशेष धनराशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-आर0एफ0आई0डी0 व्यवस्था/2017-18/1344/वाणिज्य कर, दिनांक 17.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जी0एस0टी0 के सफल क्रियान्वयन हेतु यू0एच0एफ0 आर0एफ0आई0डी0 व्यवस्था प्रभावी किए जाने हेतु यू0पी0डेस्को के संशोधित प्रस्ताव के आधार पर धनराशि रु0-3,49,83,595.00 के सापेक्ष पूर्व में शासनादेश सं0-क0नि0-4-381/11-2017-300(27)/2016, दिनांक 12.05.2017 द्वारा रु0-200.00 लाख (रुपया दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रु0-1,49,83,595.00 (रुपया एक करोड़ उन्चास लाख तिरासी हजार पांच सौ पिचानवे मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :--

(1) उक्त कार्य शासकीय संस्था यू0पी0डेस्को से कराया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी मितव्ययितता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये हैं, उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ़्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-18/2017/क0नि0-4-1471(1)/11-2017, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/एडीश्नल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
7. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।